

By fax 23/9/06

Bank Of Rajasthan Retired Staff Society

(Reg. No. 197/JAIPUR/2001-2002)

Regd. Office
B-97, Anand Puri,
Moti Doongri Road,
JAIPUR - 302 004
Tel. 2600329

Ref 8/06

The Managing Director
The Bank of Rajasthan Ltd
Corporate Office
Mumbai

DE 23/9/06
The Executive Director
The Bank of Rajasthan Ltd
Corporate Office
MUMBAI

Respected Sir

Reg - Proposal for Settlement of Interest for
delayed payment of Pension & Commutation
of Pension

Ref - our letter no 07/06 DE 19.9.2006

We append here under a gist of
news appeared in Dainik Bhaskar, Jaipur regarding
recent Judgement of Divisional Bench of
Rajasthan Highcourt, Jaipur bench ordering
payment of interest @ 10% p.a on delayed payment
of retiral benefits to an employee.

We hope, this Judgement
will help you in settling
our claim as requested in
our letter dt 19.9.2006.

With warm regards,

Yours faithfully,

(S.L. Maheshwari)
General Secretary

देरी से सेवानिवृत्ति भुगतान पर ब्याज देने के आदेश

भास्कर न्युज, जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सेवानिवृत्ति परिลาभों का भुगतान 4 वर्ष बाद करने के लिए शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए देरी से भुगतान की गई राशि पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग पर पांच हजार की कोस्ट भी लगाई गई है।

खंडपीठ ने यह आदेश मोहम्मद सहीक की ओर से दायर अपील में दिए हैं। अपीलार्थी की ओर से हाईकोर्ट की एकल पीठ में देरी से

भुगतान पर ब्याज देने के लिए दायर की गई याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ब्याज की राशि के लिए सिविल न्यायालय में दावा किया जाना चाहिए।

एकलपीठ के निर्णय को खंडपीठ में चुनौती दी गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि देरी से भुगतान के लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार है और देरी से दी गई राशि पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना चाहिए।

Bhaskar DE 18/9/06